# डिस्कलेमर

**अंतरिम आदेश संख्या 12/2023-24 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।**

# भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

*****

## आदेश संख्या 12/2023-24

ऐरा भवन
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली– 110003

**जारी करने की तारीख: 11.07.2023**

| | |
|---|---|
| **सेवा** | **: ग्राउंड हैंडिलिंग सेवाएं (जीएचएस)** |
| **सेवा प्रदाता** | **: मैसर्स बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड** |
| **हवाईअड्डा** | **: चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा** |
| **हवाईअड्डा प्रचालक** | **: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा. वि. प्रा.)** |

**विषय: मैसर्स बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड (बी. ए. एस. सी. पी. एल.) द्वारा चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर प्रदान की जाने वाली ग्राउन्ड हैंडिलिंग सेवाओं के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख ("सी.ओ.डी.") से 30.09.2023 तक के लिए तदर्थ टैरिफ के मामले में।**

मैसर्स बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड (बीएएससीपीएल) ने दिनांक 11.04.2023 के पत्र द्वारा तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए अपना बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव और तीन (03) टैरिफ वर्षों, अर्थात वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26, के लिए वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। इसके अतिरिक्त दिनांक 21.04.2023 के पत्र द्वारा मैसर्स बीएएससीपीएल ने प्राधिकरण से यह अनुरोध किया है कि चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर उनकी प्रस्तावित ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं (जीएचएस) के लिए प्राधिकरण द्वारा ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक तदर्थ टैरिफ के लिए अनुमोदन प्रदान करें।

2. तदर्थ टैरिफ के अनुरोध की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया था कि मैसर्स बीएएससीपीएल ने कुछ दस्तावेज, अर्थात बीसीएएस द्वारा जारी सुरक्षा अनुमति, हवाईअड्डा प्रचालक के साथ किया गया रियायत करार, एसपीवी को निगमित किए जाने का प्रमाण पत्र और प्रस्तावित टैरिफ दर कार्ड उपलब्ध नहीं किए हैं। तदनुसार स्वतंत्र सेवा प्रदाता को ये दस्तावेज उपलब्ध करने का अनुरोध किया गया था।

समय-समय पर (हालही में दिनांक 04.07.2023 की ई-मेल द्वारा) स्वतंत्र सेवा प्रदाता ने निम्नलिखित जानकारी/दस्तावेज पेश किए हैं:

(i) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा जारी दिनांक 18.11.2022 का कार्य सौंपने संबंधी पत्र

(ii) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा जारी दिनांक 15.05.2023 की सुरक्षा अनुमति

(iii) एएआई और मैसर्स बीएएससीपीएल (मैसर्स ग्लोब ग्राउंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सृजित एसपीवी) के बीच निष्पादित दिनांक 28.06.2023 का रियायत करार

(iv) प्रस्तावित टैरिफ दर कार्ड

**मैसर्स बीसीएएसपीएल द्वारा प्राधिकरण से तदर्थ टैरिफ प्रदान करने के लिए किए गए अनुरोध की प्राधिकरण द्वारा जांच**

3. प्राधिकरण नोट करता है कि एएआई (हवाईअड्डा प्रचालक) ने चेन्नई हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए मैसर्स ग्लोब ग्राउंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जीजीआईपीएल) के पक्ष में दिनांक 18.11.2022 का कार्य सौंपने संबंधी पत्र (एलओए) जारी किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) को निगमित किया जाना निर्धारित है। एलओए जारी होने के अनुसार मैसर्स जीजीआईपीएल ने दिनांक 18.11.2022 के 'कार्य सौंपने संबंधी पत्र' के पैरा 5 के संदर्भ में मैसर्स 'बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज (चैन्नई) प्राइवेट लिमिटेड (बीएएससीपीएल)' नामक विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) का गठन किया है। उपर्युक्त एसपीवी को निम्नलिखित शेयरधारण संरचना के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत 20.01.2023 को निगमित कर दिया था:

| **क्र. सं.** | **नाम और पता** | **शेयरों की संख्या** | **शेयरधारिता** (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | ग्लोब ग्राउंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | 5,100 | 51.00% |
| 2. | बर्ड वर्ल्डवाइड फ्लाइट सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड | 2,900 | 29.00% |
| 3. | ग्लोबल फ्लाइट हैंडलिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड | 1,000 | 10.00% |
| 4. | गोकुल विनिमय प्राइवेट लिमिटेड | 1,000 | 10.00% |
| | कुल | **100,000** | **100.00** |

4. प्राधिकरण यह भी नोट करता है कि मैसर्स बीएएससीपीएल ने नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के दिनांक 15.05.2023 के आदेश द्वारा बीसीएएस से अपेक्षित सुरक्षा अनुमति प्राप्त कर ली है, जो जारी किए जाने की तारीख से पांच (05) वर्ष के लिए वैध है।

5. प्राधिकरण ने अवलोकन किया है कि नागर विमानन मंत्रालय के नॉन शेड्यूल्ड प्रचालकों के परमिट (एनएसओपी) और सामान्य विमानन (जीए) के लिए प्रमुख हवाईअड्डों पर ग्राउंड हैडलिंग सेवाओं के लिए मद-वार प्रभारों के प्रावधान से संबंधित दिनांक 23 सितम्बर, 2022 के पत्र संख्या एवी-24032/184/2022-एएआई–मोका द्वारा जारी निदेशों के अनुपालन में मैसर्स बीएएससीपीएल ने विभिन्न ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए मद-वार प्रभार प्रस्तुत कर दिए हैं।

6. वर्तमान में मैसर्स एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएएसएल) और मैसर्स सैलेबी ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज चेन्नई प्राइवेट लिमिटेड (सीजीएचएससी) ने दो स्वतंत्र सेवा प्रदाता (आईएसपी) हैं जो चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर समान सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। प्राधिकरण ने तदर्थ टैरिफ के प्रयोजन से मैसर्स बीएएससीपीएल द्वारा प्रस्तावित टैरिफ का विश्लेषण करने और चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए मैसर्स एआईएएसएल और मैसर्स सीजीएचएससी के संबंध में प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरों से मिलान करने का निर्णय लिया। परंतु प्राधिकरण यह टिप्पणी करता है कि मैसर्स बीएएससीपीएल की प्रस्तावित टैरिफ संरचना चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में मैसर्स एआईएएसएल की टैरिफ संरचना से तुलनीय नहीं है लेकिन मैसर्स सीजीएचएससी की टैरिफ संरचना से तुलना योग्य है। तदनुसार मैसर्स सीजीएचएससी और मैसर्स बीएएससीपीएल की टैरिफ दरों के तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर प्राधिकरण अंतिरम व्यवस्था के तौर पर **वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) से 30.09.2023 तक** या आईएसपी के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, संलग्नक I, II और III के अनुसार चेन्नई हवाईअड्डे पर मैसर्स बीएएससीपीएल के संबंध में प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतर टैरिफ दर अंगीकार करने का निर्णय लेता है।

7. प्राधिकरण यह भी टिप्पणी करता है कि आईएसपी ने वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 की नियंत्रण अवधि का प्रस्ताव किया है परंतु हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा आईएसपी को रियायत नवम्बर, 2022 में प्रदान की गई है और रियायत करार जून, 2023 में निष्पादित किया है। साथ ही प्रचालन शीघ्र ही शुरू होने की संभावना है। इसे देखते हुए प्राधिकरण मैसर्स बीएसीएसपीएल द्वारा चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने के संबंध में वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 को प्रथम नियंत्रण अवधि मानने का निर्णय लेता है।

## आदेश

रिकॉर्डो में उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत प्राधिकरण भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि :

(i) मैसर्स बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज (चैन्नई) प्राइवेट लिमिटेड को **वाणिज्यक प्रचालन की तारीख (सीओडी) से 30.09.2023** तक, या स्वतंत्र सेवा प्रदाता के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, चेन्नई में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए संलग्नक **I, II** और **III** के अनुसार तदर्थ आधार पर टैरिफ लगाने और वसूल करने की अनुमति दी जाती है।

(ii) प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि अंतरदेशीय नॉन-शेडयूल्ड और सामान्य विमानन प्रचालनों के लिए टैरिफ समान श्रेणी के विमान (नों) के लिए संगत अंतरदेशीय शेड्यूल्ड उड़ानों के लिए अनुमोदित टैरिफ से अधिक नहीं होगी।

(iii) ऊपर बताए अनुसार अनुमोदित टैरिफ ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली अधिकतम टैरिफ होगी। अनुमोदित टैरिफ के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभार नहीं लगाया जाए।

(iv) मैसर्स बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज (चैन्नई) प्राइवेट लिमिटेड नागर विमानन मंत्रालय के दिनांक 27.10.2022 के इसके पत्र संख्या एवी-24011/10/2021- एएआई-एमओसीए द्वारा जारी निदेशों के अनुसार चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग उपस्कर के मानकीकरण का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

(v) इसमें अनुमोदित टैरिफ में लागू कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

(vi) प्राधिकरण मैसर्स बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड को शीघ्रातिशीघ्र संशोधित एमवाईटीपी प्रस्तुत करने का निदेश देता है।

(vii) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

**प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता**

**(कर्नल मनु सूदन)**
**सचिव**

सेवामें,

**श्री सुंदीप कुमार जैन,**
**मुख्य वाणिज्य अधिकारी**,
मैसर्स बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड,
न्यू डॉमेस्टिक टर्मिनल, बिल्डिंग (टी-1),
चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, तमिलनाडु, भारत -600016

प्रतिलिपि:

1) सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली–110003 **को सूचनार्थ।**
2) श्री सी.वी दीपक, हवाईअड्डा अधिकारी, एएआई, चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मीणाम्बक्कम, चेन्नई को सूचना और आवश्यक अनुपालन के लिए